रजिस्टर्ड सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1976/वैशाख 25, 1898

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1976/VAISAKHA 25, 1898

CENTRAL SECRETARIAT
No. ....
Date ....
GOVT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महापंजीकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 660.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक और जनगणना कार्य के पदेन अधीक्षक के कार्यालय, नागालैण्ड में ग्रुप ग और ग्रुप घ के पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम जनगणना कार्य निदेशक और जनगणना कार्य के पदेन अधीक्षक का कार्यालय, नागालैण्ड (ग्रुप ग और ग्रुप घ पद) भर्ती नियम, 1976 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्टानुसार होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्टानुसार होंगी।

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion : (i) Superintendents in the Regional Supply Offices who hold a lien on a permanent post in those offices with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis (ii) Superintendents (Supervisory Level I) in the Regional Inspection Office, Calcutta, who hold a lien on a permanent post in that office with 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (iii) Superintendents (Supervisory Level II) in the Regional Inspection Offices who hold lien on a permanent post in those offices with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis	Group 'B' Departmental Promotion Committee	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958 ")

[No. A-12018/9/75-ES I]

S. S. KSHETRY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 677.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली 1962 की अनुसूची में

(क) क्रम संख्या 15 के सम्मुख कालम 8 के अन्तर्गत,

(1) वांछनीय शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि-2 लुप्त की जायेगी,

(2) आवश्यक —शीर्षक के अन्तर्गत, अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(4) किसी एक प्रादेशिक भाषा की जानकारी (प्रत्येक पद की आवश्यकतानुसार)"।

(ख) क्रम संख्या 16 के सम्मुख कालम 8 के अन्तर्गत,

(1) वांछनीय —शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि-2 लुप्त की जायेगी,

(2) आवश्यक —शीर्षक के अन्तर्गत अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(4) किसी एक प्रादेशिक भाषा की जानकारी (प्रत्येक पद की आवश्यकतानुसार)।"

[सं० 1/15/75-बी० (ए०)]

मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 15th April, 1976

G.S.R. 677.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962, namely —

1. (i) The rules may be called the All India Radio (Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962,

(a) against serial number 15 in column 8,

(i) under the heading DESIRABLE, entry (ii) shall be ommitted ;

(ii) under the heading ESSENTIAL, the following shall be added at the end, namely :—

"(iv) Knowledge of one of the regional languages (according to the requirements of each post)".

(b) against serial number, 16 in column 8,

(i) under the heading DESIRABLE, entry (ii) shall be ommitted ;

(ii) under the heading ESSENTIAL, the following shall be added at the end, namely :—

"(iv) Knowledge of one of the regional languages (according to the requirements of each post)."

[No. 1/15/75 B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy